प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 2404-डेरी विकास-001 निदेशन तथा प्रशासन में पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-16)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1334/वित्तसम्भाग/बजट/पुनर्विनियोग/18-19, दिनांक 08 मार्च, 2019 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लेखाशीर्षक "2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें के मद 04-यात्रा व्यय, 08-कार्यालय व्यय तथा 16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू0 6.50 लाख (रूपये छः लाख पचार हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। धनराशि का आहरण यथावश्यकता ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृति की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-2312/2018, दिनांक 30.03.2018 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को तुरन्त दी जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-16 के अधीन लेखा शीर्षक-"2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध

यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सप्लाई योजनायें के मानक मद 04-यात्रा व्यय, 08- कार्यालय व्यय एवं 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान'' के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक ''2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें'' के मद 01-वेतन मद में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- बचत की मद में कोई धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या- 4/2019 /357(1)/53-2-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, 29 पार्क रोड, लखनऊ
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित करें।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in